RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

TECHNICAL BID

FOR

Supply of PROM (Phosphate Rich Organic Manure) (As per specification of FCO 1985) F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan

Estimated cost Rs. 2.00 Crore.

Office of the Managing Director,
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd
4, Bhawani Singh Road, Jaipur.

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	NIT	1-2
2	General Instruction to Bidders	3-4
3	Instruction for Technical Bid • Scope of Bid • Submission of Bid Application • Details of Fees • Employer Rights • Site Visit	5-7
4	Application Form	8-9
5	Declaration of the black list (Annexure. "A")	10
6	Declaration of the bidder (Annexure. "B")	11

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4–भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

फोन : 0141-2740081,
0141-2740231
फैक्स : 0141-2740122,
0141-2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

ई–बिड सूचना संख्या राजफैड/कृषि /2018–19/7158

माह सितम्बर, 2018 से मार्च, 2019 तक राजफैड के माध्यम से निर्माता कम्पनियों/कोन्सोर्सियम जिन्हें कृषि विभाग, राजस्थान द्वारा राज्य में विपणन हेतु अनुज्ञा पत्र प्राप्त है, से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मेन्युर) (As per specification of FCO) की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु एवं राजफैड के माध्यम से कृषि विभाग, राजस्थान सरकार में पंजीकृत निर्माता/मार्केटिंग कम्पनियों से ऑन लाईन ई–बिड आमंत्रित की जाती है, जिसकी डाउनलोडिंग व अपलोडिंग की अन्तिम तिथि 28.09.2018 है। विस्तृत विवरण दि0 29.08.2018 से वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in, rajfed.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in पर देखें। संशोधन/शुद्धि पत्र भी इसी वेबसाइट पर दिया जावेगा।

प्रबन्ध संचालक

(2)

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID FOR PROM (PHOSPHATE RICH ORGANIC MANURE)/ AI/7158

On-line Bids are hereby invited by Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd, Jaipur for supply of PROM **(As per specification of FCO 1985)** F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan from manufacturers of PROM registered with Agriculture Department, Govt.of Rajasthan:

Item No.	Description	Estimated qty	Estimated cost (Rs.in Crores)	Bid Security (Rs.in lacs)	Bid Form Cost ((In Rs)	Processing Fee (In Rs)	Completion Period
1	supply of **PROM (As per specification of FCO 1985)** F.O.R to KVSS/GSS in Rajasthan upto 31.03.2019.	2500 MT	2.00	4.00	5000	1000	March-2019

1. Bid documents may be downloaded and uploaded on website :http:/eproc.rajasthan.gov.in
2. The cost of bid form and the bid security amount is payable in the form of Demand Draft in favour of, Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd, Jaipur, payable at Jaipur.
3. Processing fee shall be in the form of demand draft in favour of MD, RISL, Jaipur payable at Jaipur.

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

बोली हेतु सामान्य निर्देश

1. ई–बोली में भाग लेने की इच्छुक फर्म का अधिकृत वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीबद्ध होना आवश्यक है । सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अनुसार बोली लगाने वाली फर्म के लिए Digital Signature Certificate अनिवार्य है, जो अनुमोदित प्रमाणीकरण संस्था यथा TCS, safecrypt, Ncode etc. से प्राप्त किया जा सकता है । अधिक जानकारी अथवा अन्य सहायता हेतु किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे के मध्य e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में अथवा toll free Phone No. 1800–3070–2232 (any time) पर सम्पर्क कर सकते है ।
2. बोली लगाने वाली फर्म के ऑनलाइन बोली के प्रशिक्षणार्थ e-Procurement Cell, RISL में उनके योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर स्थित कार्यालय में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है,इच्छुक बोली लगाने वाले वहॉ सम्पर्क कर सकते है।
3. सशर्त बोली मान्य नहीं होगी ।
4. बोली लगाने वाले डिमान्ड ड्राफ्ट के अतिरिक्त बोली से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के दस्तावेज व्यक्तिशः राजफैड कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करें ।
5. तकनिकी बिड् में सफल रहे बोली लगाने वालों की वित्तीय बिड् राजफैड कार्यालय में दिनांक 01.10.2018 को अपरान्ह 3.30 बजे खोली जावेगी, जिसकी सूचना उन्हें पृथक से website :http:/eproc.rajasthan.gov.in पर दी जावेगी ।
6. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की अनुमानित मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो ई–बोली लगाने वालों को स्वीकार्य होगी। यदि एक से अधिक बोलीदाता की दर प्रथम न्यूनतम रहती है तो कुल मात्रा को अनुपातिक आधार पर प्रथम न्यूनतम बोलीदाताओं में बॉटा जावेगा एवं बिड सिक्यूरिटी राशि भी अनुपातिक आधार पर रखते हुये शेष राशि वापस लौटा दी जावेगी।
7. किसी भी बोली या समस्त बोलियों को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध निदेशक को होगा।

बोली के साथ निम्नांकित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है, इनके अभाव में बोलियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :–

(i) कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(ii) राज्य जहॉ पर उत्पादन प्लान्ट स्थित है, उस राज्य सरकार द्वारा जारी उत्पादन लाईसेन्स।

(iii) कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की आपूर्ति हेतु लाईसेन्स।

(iv) कम्पनी की प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) उत्पादन क्षमता का सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।

(v) कंपनी का जहॉं पर प्लान्ट स्थित है उस राज्य के कृषि विभाग से गत वित्तीय वर्ष की क्वालिटी परफोरमेंस रिपोर्ट।

(vi) गत तीन वर्षो की ऑडिटेड बैलेन्स शीट।

(vii) आयकर PAN CARD एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(viii) कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने एवं बिलिंग हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का ओथिरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।

(ix) फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/ स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।

9. बोली में प्रति मै.टन की दर, सभी प्रकार के करों सहित एवं एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन एवं एमआरपी सहित अंकित करनी होगी।
10. बोली प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में ही भरा जावें।
11. ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) फर्म बोली में भाग लेने के लिए अयोग्य (Disqualified) होगी। इसके अतिरिक्त जिन प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) निर्माता फर्मों द्वारा शर्तों की पालना नहीं करने के कारण राजफैड द्वारा पूर्व में डिफाल्टर घोषित किया जाकर उनकी बोली प्रतिभूति राशि जब्त की गई हो, ऐसी फर्म्स भी इस बोली में भाग लेने हेतु अयोग्य होगी तथा ऐसी फर्म से प्राप्त बोली पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।
12. बोली दस्तावेज शुल्क राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) के भुगतान के डिमाण्ड ड्राफ्ट्स राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0 के नाम जयपुर में भुगतान योग्य तथा प्रोसेसिंग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट MD, RISL, के नाम जयपुर में भुगतान योग्य होने चाहिए। बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, प्रतिभूति राशि का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट्स के माध्यम से करना होगा एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्केन कॉपी बोली के साथ अपलोड करनी होगी तथा इनके मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट्स दिनांक 28.09.2018 को प्रातः 11.30 बजे तक राजफैड मुख्यालय में व्यक्तिशः जमा कराना सुनिश्चित करें, इनके अभाव में बिड् स्वीकार्य नहीं होगी। तकनिकी बिड् दिनांक 28.09.2018 को अपराह्न 3.30 बजे खोली जावेगी।
13. बोली लगाने वाली फर्म के गठन के स्वरूप में किसी भी परिवर्तन की सूचना फर्म द्वारा राजफैड कार्यालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से देनी होगी तथा ऐसे परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से मूल फर्म को मुक्त नहीं किया जायेगा।
14. कम्पनी द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानो के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा तथा डिस्पेच के पूर्व कम्पनी की फैक्ट्री की प्रयोगशाला में सेम्पल टेस्ट करवाना होगा तथा जॉच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डो के अनुरूप सही पाये जाने पर ही प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्तित प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।
15. कृषि विभाग द्वारा समिति/फैक्ट्री एवं फील्ड से लिये गये प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) के नमूनें को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।
16. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) निर्माता को उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अन्तर्गत उर्वरक के प्रत्येक बैग पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) तथा क्वालिटी सर्टीफाईड की सील अंकित करनी होगी। अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर
फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

तकनिकी बिड् हेतु निर्देश

कार्य का नाम : कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता कम्पनियों से प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) **(As per specification of FCO 1985)** की राजस्थान की क्र.वि.स.स./ग्रा.से.स.स. में एफ. ओ.आर आपूर्ति हेतु।

नियोक्ता का नाम : प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0, जयपुर

1. **बोली का विस्तृत विवरण :**

कार्य का विवरण : कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता कम्पनियों से प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) **(As per specification of FCO 1985)** की राजस्थान की क्र.वि.स.स./ग्रा.से.स.स. में एफ. ओ.आर आपूर्ति हेतु।

S.No	Item	Details
1.	कार्य की अनुमानित लागत	2.00 करोड रू.
2.	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	4.00 लाख रू.
3.	अनुमानित मात्रा	2500 मै.टन
4.	बोली दस्तावेज शुल्क प्रोसेसिंग फीस	1,000 रू.
5.	कार्यावधि	मार्च, 2019 तक
6.	बोली दस्तावेज डाउनलोडिंग अवधि	दिनांक 29.08.2018 को सायं 04.30 बजे से दिनांक 28.09.2018 को प्रातः 11:00 बजे तक
7.	बोली दस्तावेज अपलोडिंग की अन्तिम तिथि	दिनांक 28.09.2018 को अपरान्ह 1.30 बजे तक
8.	तकनिकी बिड् खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 28.09.2018 को अपरान्ह 3.30 बजे
9.	तकनिकी बिड् खोलने का स्थान	राजफैड मुख्यालय, 4, भवानीसिंह रोड, जयपुर
10.	वित्तीय बिड् खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 01.10.2018 को अपरान्ह 3.30 बजे
11.	कार्यादेश जारी करने का संभावित माह	सितम्बर, 2018
12.	बोली की वैद्यता	तकनिकी बिड खोलने के 90 दिवस तक

2. <u>आवेदन पत्र की प्रस्तुति :</u>

- यह ऑनलाइन ई–बोली प्रक्रिया दो लिफाफा पद्धत्ति पर आधारित होगी, प्रथम लिफाफे अंतर्गत तकनिकी बिड् प्रपत्र एवं बोली हेतु क्रम संख्या 3 के अनुसार वांछित भुगतान प्रमाण की स्केन प्रतियॉ एवं सामान्य निर्देशों के क्रम संख्या 8 पर अंकित दस्तावेजों की स्केन कोपियॉ तथा द्वितीय लिफाफे अंतर्गत वित्तीय बिड् प्रपत्र अपलोड किये जावेंगे।
- बिड् हेतु वांछित समस्त आवश्यक सूचनाऍ एवं वे समस्त दस्तावेज बोली लगाने वाली फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जावें, जो बोली की योग्यता के निर्धारण हेतु आवश्यक हों, के अभाव में असफल घोषित कर दिया जावेगा ।
- बोली लगाने वाले द्वारा सही एवं सत्य सूचनाऍ उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- तकनिकी बिड् में सफल रहे बोली लगाने वाले की ही वित्तीय बिड् खोली जावेगी ।

3. <u>शुल्क विवरण :</u>

- बोली दस्तावेज शुल्क राशि रू0 5,000/– का भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0 के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा ।
- प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) 2500 मै.टन की अनुमानित लागत राशि की बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) राशि रू0 4.00 लाख रू. भुगतान राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0 के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा। प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की अनुमानित मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो ई–बोली लगाने वालों को स्वीकार्य होगी। यदि एक से अधिक बोलीदाता की दर प्रथम न्यूनतम रहती है तो कुल मात्रा को अनुपातिक आधार पर प्रथम न्यूनतम बोलीदाताओं में बॉंटा जावेगा।
- बोली प्रोसेसिंग शुल्क राशि रू0 1,000/– का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, RISL के नाम से जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जावेगा ।

4. <u>योग्यता निर्धारण :</u>

- राज्य जहॉ पर उत्पादन प्लान्ट स्थित है, उस राज्य सरकार द्वारा जारी उत्पादन लाईसेन्स।
- कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की आपूर्ति हेतु लाईसेन्स।
- कम्पनी की प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर)/उर्वरक उत्पादन क्षमता का सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
- कंपनी का जहॉं पर प्लान्ट स्थित है उस राज्य के कृषि विभाग से गत वित्तीय वर्ष की क्वालिटी परफोरमेंस रिपोर्ट।
- गत तीन वर्षो की ऑडिटेड बैलेन्स शीट।
- आयकर पैन कार्ड एवं बिक्रीकर पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- कम्पनी द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने एवं बिलिंग हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का ओथिरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।

- फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/ स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
- आपूर्ति किये जाने वाले प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की गुणवत्ता फर्टिलाईजर कंट्रोल एक्ट 1985 के अनुसार होगी।

5. **नियोक्ता के अधिकार** :

- बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियो को अस्वीकार करने का राजफैड का अधिकार सुरक्षित रहेगा, ऐसा करने का कारण लेखबद्ध किये जावेंगें ।
- राजफैड परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषय वस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा ।

6. <u>साइट विजिट</u> :

- बोली लगाने वाले की स्वंय की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोलियों में वर्णित उन समस्त आपूर्ति स्थलों एवं आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण व विश्लेषण स्वंय जाकर करें तदोपरान्त ही बोली प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें ।

राजस्थान राज्य सहकारी कय विकय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर
फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

<u>आवेदन प्रपत्र</u>

<u>**कार्य का नाम :**</u> कृषि विभाग, राजस्थान में पंजीकृत निर्माता कम्पनियों/ कोन्सोर्सियम से राजफैड के माध्यम से राज्य की कय विकय सहकारी समितियॉ/ग्राम सेवा सहकारी समितियॉ को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) **(As per specification of FCO 1985)** एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु ऑन लाईन ई–बिड

:

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता
2. फैक्ट्री का पूर्ण पता
3. दूरभाष/मोबाइल नंबर
4. फैक्स नंबर
5. वेब साइट
6. ई–मेल आई.डी.
7. निविदा कार्य संपादन हेतु : ....

   प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, पता ....

   व दूरभाष नम्बर ....

8. फर्म की प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) उत्पादन क्षमता का विवरण :–..............................
9. फर्म द्वारा राजफैड को ऑफर की गयी प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की मात्रा ————————

10. वित्तीय बिड् में वर्णित F.O.R. Destination पर ओर्गेनिक मैन्यूर **(As per specification of FCO 1985)** आपूर्ति जिनमें लोडिंग–अनलोडिंग चार्जेज, जीएसटी एवं अन्य सभी प्रकार के कर समाहित है, के लिए फर्म द्वारा अंकित की गई प्रति मै.टन की दरों पर आपूर्ति करने के लिए फर्म बाध्य है ।

11. राजफैड द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से निर्धारित अवधि में निर्देशित स्थान पर वांछित मात्रा में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की आपूर्ति की जावेगी। इस अवधि में सम्प्रेषण समय भी सम्मिलित हैं।

12. निविदा एवं संविदा में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार्य है।

निविदा के साथ निम्नानुसार वांछित समस्त आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिये गये हैः–

1. राज्य जहॉ पर उत्पादन प्लान्ट स्थित है, उस राज्य सरकार द्वारा जारी उत्पादन लाईसेन्स।
2. कृषि विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की आपूर्ति हेतु लाईसेन्स।
3. कम्पनी की प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) उत्पादन क्षमता का सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
4. कंपनी का जहाँ पर प्लान्ट स्थित है उस राज्य के कृषि विभाग से गत वित्तीय वर्ष की क्वालिटी परफोरमेंस रिपोर्ट।
5. गत तीन वर्षो की ऑडिटेड बैलेन्स शीट।
6. आयकर एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र।
7. कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
8. कम्पनी द्वारा संचालित टोल फ्री फार्मर हैल्पलाईन का प्रमाण।
9. कम्पनी/कोन्सोर्सियम द्वारा जारी ऑफर में भाग लेने एवं बिलिंग हेतु अधिकृत प्रतिनिधी/अधिकारी का ओथिरिटी लेटर मय अधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधी का नाम, पद, मय कार्यालय का पता एवं दूरभाष सहित।
10. फर्म को राज्य सरकार, उसके नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय उपक्रम/ स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा फर्म के साथ कारोबार/व्यवहार को प्रतिबंधित, निलम्बित अथवा ब्लैक लिस्टेड (Black Listed) नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
11. गुणवत्ता हेतु राष्ट्रीय (आईएसआई मानक)/अन्तरराष्ट्रीय (आईएसओ मानक) का वैद्य प्रमाण पत्र।
12. बोली सम्बन्धी कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकार पत्र।
13. बिड सिक्यूरिटी, टेण्डर फार्म कोस्ट एवं प्रोसेसिंग फीस (कुल संख्या 3) के डीडी की स्केन प्रतियॉ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

Annexure - A

Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in procurement process shall –

a. not offer any bride, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
b. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
c. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
d. not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
e. not indulge in any coercion including imapairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
f. not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
g. disclose conflict of interest, if any; and
h. disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in mote than one bid with result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, works or services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure - B

DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd Jaipur (RAJFED) For supply of PROM **(As per specification of FCO 1985)** FOR to KVSS/GSS in Rajasthan in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated ……………… I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity ;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay any such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons ".
4. I/We do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our qualification to enter into a procurement contract within a period of three year preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Documents, which, materially affects fair competition;
6. I/We have visited the supply sites and fully acquainted myself/ourselves with the local situation regarding materials, labour and other factors pertaining to the work before submitting the tender of RAJFED regarding supply of PROM (As per specification of FCO 1985) FOR to KVSS/GSS in Rajasthan.
7. I/We have carefully studied the instructions, conditions of contract and other documents of this work and I/We agree to execute the work accordingly.

Date:	Signature of Bidder	:
Place:	Name	:
	Designation	:
	Address	:

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

FINANICAL BID

FOR

Supply of PROM (Phosphate Rich Organic Manure) (As per specification of FCO 1985) to KVSS/GSS in Rajasthan

upto March-2019.

Estimated cost Rs. 2.00 Crores

RAJASTHAN STATE COOPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD
4 BHAWANI SINGH ROAD JAIPUR.

Tel : 0141-2740081
Fax : 0141-2740457
E-Mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	Terms & Conditions of Contract	01-03
2	Bid of Rates	4-5

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

बोली की शर्तें

1. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) **(As per specification of FCO 1985)** की दरों का अंकन वित्तीय बिड् में शब्दों एवं अंको में अनिवार्यतः किया जावें, दोनों में अन्तर पाये जाने पर शब्दों में अंकित दर सही मानी जावेगी।
2. बोली में अंकित दरें प्रति मे.टन एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन सभी करों सहित होनी चाहियें। राजफैड द्वारा उक्त स्वीकृत दर के अतिरिक्त फर्म को अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. बोली लगाने वाली फर्म जिसकी बोली स्वीकार की गई है, उसे राजफैड का पत्र प्राप्त होने के 10 दिवस में एक संविदा पत्र राजफैड के साथ निष्पादित करना होगा।
4. कम्पनी को राजफैड द्वारा आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश की दिनांक से सात दिवस के अन्दर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) **(As per specification of FCO 1985)** की आपूर्ति करनी होगी। यदि कम्पनी द्वारा प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की आपूर्ति के दिये गये आदेशों के विरूद्ध सात दिवस में आपूर्ति नहीं की जाती है तो निम्न स्लेब अनुसार कम्पनी द्वारा की गयी विलम्बित आपूर्ति के मूल्य में से पेनल्टी/क्षतिपूर्ती राशि की कटौति की जावेगीः–

1. आदेश दिनांक से 7 दिवस तक	–
2. आदेश दिनांक के 8 दिन से 10 दिन तक	5 प्रतिशत
3. आदेश दिनांक के 11 दिन से 12 दिन तक	7.5 प्रतिशत
4. आदेश दिनांक के 13 दिन से 15 दिन तक	10 प्रतिशत

   5. यदि किसी कम्पनी द्वारा राजफैड के प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) आपूर्ति हेतु दिये गये आदेश के विरूद्ध 15 दिवस में आपूर्ति नहीं की जाती है तो राजफैड द्वारा आदेश निरस्त कर आदेश के मूल्य के बराबर देय अन्तर की राशि फर्म से वसूल की जावेगी।
5. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की आपूर्ति के आदेश क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा अपनी वास्तविक मॉग का आंकलन कर क्षेत्रीय कार्यालय/राजफैड मुख्यालय, जयपुर को भिजवाये जावेगे जिसके आधार पर राजफैड मुख्यालय द्वारा समितियों की मॉग के अनुरूप संबंधित कम्पनियों को आपूर्ति आदेश दिये जावेगें।
6. आपूर्तिकर्ता कम्पनी को राजफैड द्वारा प्रोम आपूर्ति की राशि का भुगतान संबंधित समितियों से राशि प्राप्त होने के पश्चात् किया जायेगा। भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता कम्पनियों द्वारा बिल के साथ निम्न सूचनायें/प्रपत्र संलग्न किये जाने होंगेः–
   1. बिलों में समस्त छूटों का इन्द्राज किया जाना आवश्यक होगा।
   2. बिलों के साथ समितियों को माल के सही हालत में प्राप्त होने संबंधी सूचना/पुष्टि पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
   3. बिल के साथ माल आपूर्ति से पूर्व में फैक्ट्री प्रयोगशाला की सेम्पल टेस्ट रिपोर्ट संलग्न की जानी होगी।
   4. कंपनी का जहाँ पर प्लान्ट स्थित है उस राज्य के कृषि विभाग से गत वित्तीय वर्ष की क्वालिटी परफोरमेंस रिपोर्ट।
   5. राजफैड की अनुमोदित दर से कम दर पर राज्य में किसी भी एजेन्ट/डीलर को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर). की आपूर्ति नहीं गयी है, इस आशय का प्रमाण पत्र फर्म द्वारा प्रत्येक बिल पर देना होगा।
   6. एक्सपायरी डेट के पश्चात् का प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) कम्पनी द्वारा वापस उठाया जावेगा।

7. स्वीकृत कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के माध्यम से ही प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की आपूर्ति की जावेगी। किसी कम्पनी द्वारा सीधे समितियों को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की आपूर्ति नहीं की जावेगी। यदि किसी कम्पनी द्वारा ऐसा न करते हुये सीधी आपूर्ति की जाती है तो उस आपूर्तित मात्रा का भुगतान राजफैड स्तर से नहीं किया जावेगा साथ ही उस कम्पनी से किया गया अनुबन्ध समाप्त कर ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।
8. आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा राजफैड की अनुमोदित दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) का विक्रय नहीं किया जावेगा तथा इस आशय का प्रमाण पत्र उनके द्वारा प्रत्येक बिल के साथ दिया जावेगा। यदि कम्पनी द्वारा राजफैड द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा ऐजेन्ट/डीलर को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) का विक्रय करना पाया गया तो कम्पनी को घटी हुई दर के हिसाब से ही भुगतान किया जावेगा। घटी हुई दरो की सूचना कम्पनी/फर्म तुरन्त राजफैड को उपलब्ध करवायेगी। यदि कम्पनी/फर्म स्वतः ही इसकी सूचना नही देती है व तत्पश्चात् राजफैड के ध्यान में आता है कि राजफैड से कम दर पर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) आपूर्ती की गई है तो उस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुये उसके माध्यम से किया जा रहा व्यवसाय समाप्त कर दिया जावेगा एवं जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. कम्पनी द्वारा राजफैड/समिति को वांछित मात्रा में एवं बताये गये स्थानों पर प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के प्रावधानो के अन्तर्गत सप्लाई किया जावेगा। डिस्पेच के पूर्व कम्पनी की फैक्ट्री की प्रयोगशाला में सेम्पल टेस्ट करवाना होगा तथा जॉच के पश्चात् गुणवत्ता के मापदण्डो के अनुरूप सही पाये जाने पर ही प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की आपूर्ति की जावेगी। आपूर्तित प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की गुणवत्ता की समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता कम्पनी की होगी।
10. कृषि विभाग द्वारा समिति/फैक्ट्री एवं फील्ड से लिये गये प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) के नमूनें को यदि अमानक घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिये फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस संबंध में यदि किसी समिति/राजफैड के खिलाफ न्यायालय में किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस वाद में समिति/राजफैड द्वारा किये गये समस्त व्यय का भुगतान संबंधित कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा।
11. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) की आपूर्ति नये एच.डी.पी.ई. बैग में की जावेगी। क्षतिग्रस्त एवं कटे फटे थैलों में जमा हुआ एवं ढेले वाला प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) किसी भी स्थिति में समितियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
12. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) निम्न मामलों में जब्त करने का राजफैड को पूर्ण अधिकार होगा :-

    (i) यदि बोली लगाने वाली फर्म की बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकृत करने से पूर्व बोली लगाने वाली फर्म प्रस्ताव वापस लेती है, या उसमें परिवर्तन प्रस्तावित करती है।

    (ii) यदि बोली लगाने वाली फर्म/बोलीदाता निर्धारित समयावधि में संविदा पत्र निष्पादित करने में असफल रहती है।

    (iii) बोली लगाने वाली फर्म द्वारा बोली के साथ गलत/असत्य तथ्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में।

    (iv) कम्पनी द्वारा सहकारी/सरकारी क्षेत्र एवं समितियों को राजफैड के अतिरिक्त सीधे ही आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।

    (v) राजफैड की स्वीकृत दरों से कम दरों पर बाजार में अथवा एजेन्ट/डीलर को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) आपूर्ति किये जाने की स्थिति में।

13. बिड प्रतिभूति राशि का पुर्नभुगतान वित्तीय वर्ष/संविदा अवधि की समाप्ति पश्चात कार्य संतुष्टि पर किया जावेगा तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
14. प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) आपूर्ति करने में उत्पन्न बाधा यदि बोली लगाने वाली फर्म के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तथा सप्लाई अवधि समाप्ति से पूर्व राजफैड को इस बाबत सूचित कर दिया गया हो तो आपूर्ति की अवधि में परिनिर्धारित क्षति को क्षति–रहित करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार राजफैड के प्रबन्ध संचालक को होगा।
15. किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न होने पर प्रबन्ध संचालक, राजफैड का निर्णय अंतिम होगा जो कि दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर विशेष परिस्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इन्हीं शर्तो एवं अनुमोदित दरों पर संविदा अवधि में अभिवृद्धि की जा सकेगी।
17. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र केवल जयपुर होगा।

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

माह सितम्बर, 2018 से मार्च, 2019 तक राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर) **(पाउडर)** **(As per specification of FCO 1985)** की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु दर :–

प्रोम (पाउडर)

दर रू. प्रति मै.टन

ऑफर की गयी मात्रा	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन)	एमआरपी दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन)

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0,
4, भवानीसिंह रोड, जयपुर

फोन नं. 0141–2740081
फैक्स नं. 0141–2740457
E-mail : rajfed_agri.input@yahoo.com

BID OF RATES

माह सितम्बर, 2018 से मार्च, 2019 तक राजफैड के माध्यम से राज्य की क्रय विक्रय सहकारी समितियाँ/ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को प्रोम (फॉस्फेटिक रिच ओर्गेनिक मैन्यूर)**(दानेदार)** **(As per specification of FCO 1985)** की एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु दर :–

प्रोम (दानेदार)

दर रू. प्रति मै.टन

ऑफर की गयी मात्रा	बिलिंग दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन)	एमआरपी दर (एफ.ओ.आर.) जीएसटी एवं अन्य सभी करो सहित (प्रति मै.टन)

1. ऑफ सीजन डिस्काउन्ट रू. प्रति मै.टन माहवार
2. राजफैड को देय अन्य छूट

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर मय मुहर